न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

वाद पत्र संख्या :–38 / दावा / 2017

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद ताहिर (RAS)

1. शंकर आयु 45 वर्ष आत्मज खाना जाति बैरवा निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. कालू लाल उर्फ काल्या आत्मज कान्हा उर्फ खाना जाति बैरवा निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक 14.10.2019

1. वादी की ओर से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा एंव बंटवारा का दिनांक 26.05.2017 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :– कृषि भूमि खसरा संख्या 166 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 611 / 103 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 659 / 172 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे स्थित है जो वर्तमान जमाबन्दी मे काल्या वल्द कंवरा कौम बैरवा साकिन जमीतपुरा खातेदार दर्ज है। वादी एंव प्रतिवादी के पिता कान्हा उर्फ खाना आत्मज कंवरया के दो भाई ग्यारस्या, भूरा भी थे। जमाबन्दी 2023–26 मे वाद विषयक कृषि भूमि के खातेदार के स्थान पर ग्यारस्या, भूरा व कान्हा पिता कंवरया निवासी जमीतपुरा दर्ज है। बाद की जमाबन्दीयों मे काल्या आत्मज भूरा दर्ज कर दिया जबकि कान्हा उर्फ खाना आ0 कंवरया के दो पुत्र वादी शंकर व प्रतिवादी कालू लाल है। वर्तमान जमाबन्दी मे काल्या आत्मज कंवरया प्रविष्ठि सर्वथा

उप खण्ड अधिकारी तालेडा

Scanned by CamScanner

गलत है। विवादित भूमि मे वादी को खातेदार घोषित कर दिया जावे तथा वादी एंव प्रतिवादी को बराबर का खातेदार दर्ज कर दिया जावे।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा राजीनामा पेश किया जिसमे वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

3. इकबालिया जवाब व राजीनामा प्रस्तुत होने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है **वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है या नहीं ?** इस सम्बन्ध मे पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। पक्षकार हिन्दू विधि से शासित है यह स्वीकृत स्थिति है ऐसी स्थिति मे वादी का वाद वर्णित कृषि भूमि मे जन्म से ही हक व अधिकार निहित होना पाया जाता है। दूसरा विचारणीय बिन्दू यह है कि **प्रतिवादीगण की वाद पत्र की स्वीकृति के आधार पर एवं राजीनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों का अन्तरण किया जा सकता है या नहीं ?**। यहां पर पक्षकारों ने वाद पत्र का इकबालिया जवाब एवं राजीनामा पेश किया इस सम्बन्ध मे स्वीकृति के आधार पर निर्णय किये जाने सम्बन्धि विधि का अवलोकन करें जो इस प्रकार है :– **"Order 12 Rule 6 c.p.c" { Rule 6 judgment on admissions - (1) where admissions of fact have been made either in the pleading or otherwise, whether orally or in writing, the court may at any stage of the suit, either on the application of any party or of its own motion and without waiting for the determination of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit, having regard to such admission."** साथ ही **R.B.J. (S) 1998 P.N-615** राजस्थान सरकार बनाम कान सिंह, उक्त प्रकरण मे माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है – **Rajasthan Tenancy Act. 1955 - section 88 - Khatedar tenent can**

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

transfer his khatedari rights on the basis of compromise. उपरोक्त कानूनी नजीर के प्रकाश मे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—: निर्णय :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वादी शंकर को कृषि भूमि संख्या 166 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा तहसील तालेड़ा मे स्थित है सम्पूर्ण का खातेदार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा संख्या 611/103 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा जो वाके ग्राम छपावदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे स्थित है मे से रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड मे उपरोक्तानुसार अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है तथा प्रतिवादी कालू लाल को खसरा संख्या 659/172 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा संख्या 611/103 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा मे से रकबा 4 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

उप खण्ड अधिकारी
तालेड़ा

Scanned by CamScanner